नील की खेती और चम्पारण आन्दोलन

अनुप कुमार*

औपनिवेशिक शासन के आरंभ के साथ ही भारतीय किसानों के औपनिवेशिक शोषण का अनवरत सिलसिला शुरू हुआ। यह शोषण भूराजस्व व्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यीकरण के माध्यम से निरंतर जारी रहा। इस शोषण युक्त व्यवस्था से बिहार का चम्पारण भी अछूता नहीं रह सका। चम्पारण बिहार के तिरहुत मंडल में एक ऐसा स्थान था, जहाँ के कृषकों में लम्बे समय से असंतोष फैला हुआ था। 19वी० शताब्दी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के बीस कट्ठा में तीन कट्ठा भू–भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ''तीनकठिया'' पद्धति कहते हैं। अधिकांश कृषकों को अपनी भूमि के सर्वाधिक उपजाऊ हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। चम्पारण में अंग्रेजों ने नील बनाने के अनेक कारखाने खोल रखे थे। ऐसे अंग्रेज को 'निलहे' कहा जाता था। बगान मालिक कृषकों को अपनी उपज एक निश्चित धन राशि पर केवल उन्हें ही बेचने को बाध्य करते थे और यह धनराशि बहुत कम होती थी। इस प्रकार यह व्यवस्था कृषकों का शोषण कर रही थी।

ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग की रंगाई कार्य में नील का व्यापक उपयोग होता था, इसलिए नील की खेती पर बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों द्वारा काफी जोर दिया जाता था। अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग का प्रकृति में आसानी से मिलना मुश्किल था, इसलिए नीला रंग देने वाली पौधों पर सबकी नजर टिक गई थी, चाहे वह व्यापारी हो या शोषण करने वाले हो। नील की खेती से किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। विदित है कि नील की खेती से मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति घटती है। फसल चक्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नील की खेती बिहार के चम्पारण क्षेत्र में होती रही है। दुनिया की मांग का एक बड़ा भाग चम्पारण में पैदा होता था और इसका सारा लाभ नील की खेती करने वाले किसानों को नहीं, बल्कि खेती कराने वाले निलहों को जाता था।

शोधछात्र, इतिहास विभाग, मगध विश्वाद्यालय, बोध गया

19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रसायनिक रंगों की खोज हो गई, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के बाजार में भारतीय नील की मांग कम हो गई। इसके कारण नील बगान मालिक चम्पारण के क्षेत्र में अपने नील कारखाने को बंद करने लगे। किसानों को भी नील का उत्पादन घाटे का सौदा होने लगा। वे नील बगान मालिकों से किये गये करार को खत्म करना चाहते थे। किसानों से हुए करार से मुक्त करने के लिए बगान मालिक भारी लगान की मांग करने लगे। परेशान किसान के पास अब विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अतः वे विद्रोह पर आ गये।

प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के आमने–सामने थे। इस वजह से अंग्रेजों ने जर्मनी से नील का आयात बंद कर दिया था। इसलिए नील की मांग ब्रिटेन में एक बार फिर से बढ़ने लगी और चम्पारण नील की खेती के लिहाज से फिर से प्रासंगिक हो गया। सरकार और जमींदार नील उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने लगे। इस प्रकार कृषकों के शोषण का सिलसिला अनवरत जारी रहा।

महात्मा गाँधी के चम्पारण आगमन के पूर्व चम्पारण में कई स्थानीय नायकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसमें स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल का अग्रणी स्थान है। राजकुमार शुक्ल बिहार के चम्पारण जिला के मुरली भरहवॉ गाँव के निवासी थे, जो अंग्रेजों द्वारा लागू किये गये ''तीनकठिया'' प्रणाली के स्वयं शिकार थे। गाँधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किये गये संधर्ष से चम्पारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल बेहद प्रभावित एवं प्रेरित थे। अफ्रीका में अंग्रेजों पर गाँधी जी की जीत शुक्ल को काफी आकर्षित कर रही थी। शुक्ल जी निलहों के अत्याचार से चम्पारण के किसानों को मुक्त करना चाह रहे थे। अतः वे गाँधी जी को ही मुक्तिदाता के रूप में देखने लगे। शुक्ल जी को पूरा भरोसा था कि गाँधी जी ही चम्पारण को निलहों के अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए शुक्ल जी गाँधी जी के अफ्रीका से भारत वापसी के समय से ही संपर्क साधने के प्रयास में जुट गये। ये शुक्ल ही थे जो गाँधी जी को चम्पारण बुलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाते रहे, चिट्ठियाँ लिखवाते रहे। पैसे न होने की स्थिति में चंदा करके, उधार लेकर गाँधी जी के पास जाते रहे। गाँधी जी के द्वारा बार–बार केवल आश्वासन मिलता था, लेकिन शुक्ल जी भी हार नहीं माने और अंततः उन्हें 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सफलता मिली। वहीं शुक्ल जी ने चम्पारण के किसानों की स्थिति से गाँधी जी को अवगत करवाया और चम्पारण आने का अनुरोध किया, जिसे गाँधी जी ने स्वीकार कर लिया।

राज कुमार शुक्ल के साथ गाँधी जी कोलकत्ता से पटना 10 अप्रैल 1917 को पहुँचे। पटना प्रवास के दौरान गाँधी जी प्रसिद्ध वकील डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद से मिलना चाहते थे परंतु वे उस समय पटना में मौजूद नहीं थे। गाँधी जी अपने मित्र

मौलाना मजहरूल हक जो प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, इनसे मिलकर नील की खेती से संबंधित समस्या की जानकारी ली और इससे निजात हेतु विचार विमर्श किया। गाँधी जी पटना से मुजफरपुर पहुँचे। वे चम्पारण के किसानों से मिलकर उनकी तकलीफ जानना चाहते थे। लेकिन किसानों से मिलने के पहले गाँधी जी मुजफरपुर में कमीश्नर से मिलकर इस मसले पर सरकारी पक्ष की जानकारी लेना चाहते थे। गाँधी जी ने जब कमीश्नर से भेंट की तो उसने उन्हें डाँटा, धमकाया और तुरंत जिला छोड़ने की सलाह दी। लेकिन गाँधी जी ने उसकी सलाह नहीं मानी और वे राज कुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर बाबू, धरणीधर बाबू आदि सहयोगियों के साथ 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। 16 अप्रैल को गाँधी को मोतिहारी के एस0डी0ओ0 के सामने उपस्थित होने का सरकारी आदेश प्राप्त हुआ। उस आदेश में यह भी लिखा हुआ था कि वे इस क्षेत्र को छोड़कर तुरंत वापस चले जायें। गाँधी जी ने इस आदेश का उल्लंघन कर अपनी यात्रा को जारी रखा। आदेश की अवहेलना के कारण गाँधी जी पर मुकदमा चलाया गया। गाँधी जी ने वहाँ के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया कि वे तब तक चम्पारण नहीं छोड़ेंगें जब तक नील की खेती से जुड़ी समस्याओं की जाँच वे पूरी नहीं कर लेते। चम्पारण की भूमि पर सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए गाँधी जी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसानों की अत्याचार की जाँच जारी रखी। लगभग 25 हजार किसानों ने अपना ब्यान दर्ज करवाया। अंग्रेज गाँधी जी की लोकप्रियता से घबरा गए। जब गाँधी जी अदालत में उपस्थित हुए तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहले से गाँधी जी के दर्शन के लिए उपस्थित थे। मजिस्ट्रेट मुकदमें की कार्यवाही स्थगित करना चाहता था किन्तु गाँधी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि सरकारी आदेश के उल्लंघन का अपराध वे स्वीकार करते हैं। गाँधी जी ने वहाँ एक संक्षिप्त ब्यान दिया, जिसमें उन्होंने चम्पारण आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ''वे अपनी अंतर्आत्मा की आवाज पर चम्पारण के किसानों की सहायता हेतु आये हैं, और उन्हें मजबूर होकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करना पड़ा। इसके लिए उन्हें जो भी दण्ड दिया जायेगा, उसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।'' गाँधी जी का बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तत्पश्चात् बिहार के तत्कालीन गवर्नर ने मजिस्ट्रेट को मुकदमा वापस लेने को कहा। इस प्रकार गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ज्वलंत उदाहरण पेश किया। गाँधी जी के बातों का ऐसा असर हुआ कि वहाँ की सरकार की तरफ से उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन प्राप्त हुआ।

गाँधी जी के चम्पारण सत्याग्रह आंदोलन में दर्जनों नाम ऐसे रहें जिन्होंने दिन–रात एक करके गाँधी जी का साथ दिया। चम्पारण के किसानों की समस्या को सुलझाने में गाँधी जी को डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य

जे0बी0 कृपलानी, मज़हरूल हक आदि विशिष्ट लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। गाँधी जी और उनके सहयोगियों की सक्रियता को देखते हुए बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेटे ने गाँधी जी से वार्त्ता कर किसानों की समस्याओं की जाँच के लिए ''चम्पारण एग्रेरियन कमिटी'' का गठन किया। सरकार ने गाँधी जी को भी इस कमिटी का सदस्य बनाया। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ''तीनकठिया'' व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। किसानों की लगान में कमी लायी गयी और उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि भी मिली। जबकि किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए ये उपाय अधिक उपयुक्त न थे, फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार से सीमित मांग स्वीकार करने पर सहमति प्राप्त कर लेना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। सत्याग्रह का भारत के राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयोग सफल रहा। शीघ्र ही चम्पारण के नील कोठियों के मालिकों का पलायन हो गया।

चम्पारण सत्याग्रह भारत का प्रथम अहिंसक सफल आंदोलन था। इससे चम्पारण के किसानों में आत्मविश्वास जगा और अन्याय के प्रति लड़ने के लिए उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। महात्मा गाँधी के नेतृत्व के प्रति जन साधारण की आस्था सैलाब का शुरूआत चम्पारण सत्याग्रह से ही हुआ।

संदर्भ सूची –

1. K.K. दत्ता, Freedom Movement In Bihar
2. राय महेन्द्र प्रसाद, ''नरकेसरी श्री योगेन्द्र शुक्ल तथा रामबाबू यादव'', बिहार समाचार
3. विपिन चन्द्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष
4. हरिजन
5. यंग इंडिया
6. डॉ राजेन्द्र प्रसाद– सत्याग्रह इन चम्पारण
7. डॉ राजेन्द्र प्रसाद– महात्मा गाँधी एण्ड बिहार
8. सुमित सरकार– आधुनिक भारत